जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्र0सं0 39/2017 सिंडिकेट बैंक शाखा 7बी रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर बनाम 1–मै0 श्री श्याम प्लाईवुड, 48 एन ब्लाक श्रीगंगानगर जरिये प्रो0 श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री नत्थुराम सुथार निवासी 48एन ब्लाक, श्रीगंगानगर 2–श्री कुलदीप कुमार सुथार पुत्र श्री हीरालाल निवासी गली न0 7 चक 5ई छोटी, बाबा रामदेव कोलोनी, श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.09.2017

प्रार्थी सिंडीकेट बैंक अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है उनके द्वारा फहरिस्त सूचि के साथ रजि0 ए.डी. रसीद की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने मै0 श्री श्याम प्लाईवुड, 48 एन ब्लाक श्रीगंगानगर जरिये प्रो. श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री नत्थुराम सुथार, 48 एन ब्लाक श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 40,00,000रूपये (अखरे चालीस लाख मात्र) **ऋण** दिनांक 29.01.2014 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी श्री श्यामसुन्दर ने अपनी सम्पति मकान न0 48 एन ब्लाक श्रीगंगानगर साईज 25 इन्टू 50 कुल 1250 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण ऋणी/गारन्टर द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज का भुगतान समय पर नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.09.2016 को एन.पी.ए. हो गया। अप्रार्थी ऋणी की ओर दिनांक 30.09.2016 को ऋण राशि 10,70,768.22–रूपये एवंम इसके बाद का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस दिनांक 07.10.2016 को भिजवाये गये थे नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीयान द्वारा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया है। इसलिए अप्रार्थी श्री श्यामसुन्दर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी सम्पति मकान न0 48 एन ब्लाक श्रीगंगानगर साईज 25 इन्टू 50 कुल 1250 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावें।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक द्वारा कुल 40,00,000–रूपये (अखरे चालीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 29.01.2014 को अप्रार्थी मै0 श्री श्याम प्लाईवुड, 48 एन ब्लाक श्रीगंगानगर जरिये प्रो. श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री नत्थुराम सुथार, 48 एन ब्लाक श्रीगंगानगर को स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी श्याम सुन्दर द्वारा अपनी सम्पति मकान न0 48 एन ब्लाक श्रीगंगानगर साईज 25 इन्टू 50 कुल 1250 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बंधक रखी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के ऋण राशि का भुगतान नियमित रूप से न किया जाने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 29.09.2016 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया और दिनांक 07.10.2016 को धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 30.09.2016 को बकाया राशि 40,70,768.22रू0 जमा करवाने के लिए 60 दिवस का रजि0 ए.डी. नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस की तामील होने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी से उक्त नोटिस पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप या कोई अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त नही हुआ है और न ही उनके द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी श्याम सुन्दर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी सम्पति मकान न0 48 एन ब्लाक श्रीगंगानगर साईज 25 इन्टू 50 कुल 1250 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाने की प्रार्थना की गयी है।

A3/2

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त भिजवाये गये धारा 13(2) के रजि. ए.डी. नोटिसो के संबंध में प्रस्तुत रजि0 ए.डी. रसीदों की प्रतियों के अनुसार नोटिस अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुके है इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है एवं प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी नोटिस के जबाब में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी श्याम सुन्दर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में बन्धक रखी गयी सम्पति मकान न0 48 एन ब्लाक श्रीगंगानगर साईज 25 इन्टू 50 कुल 1250 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी सिंडिकेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी श्याम सुन्दर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में बन्धक रखी गयी सम्पति मकान न0 48 एन ब्लाक श्रीगंगानगर साईज 25 इन्टू 50 कुल 1250 वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1766-67
29-3-17

यह आदेश आज दिनांक 18.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर